

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4541**  
**जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।**

.....

**राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की भूमिका**

**4541. श्री फणी भूषण चौधरी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिए 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) मानसून के दौरान प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ और भूक्षरण को देखते हुए विशेषकर असम के संबंध में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग से अब तक प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या असम में बाढ़ और भूक्षरण के स्थायी समाधान हेतु कोई सिफारिश की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (घ): भारत सरकार ने बाढ़ समस्या के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने तथा देश में बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु वर्ष 1976 में " राष्ट्रीय बाढ़ आयोग" का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1980 में प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने 207 सिफारिशों की थीं। महत्वपूर्ण सिफारिशों के सारांश में दीर्घकालिक आधार पर इष्टतम उत्पादन के लिए जल संसाधन विकास और भूमि उपयोग के लिए व्यापक योजना के दृष्टिकोण का पालन करना, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए जल संसाधन विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, नदी बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना, बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भंडारण जलाशयों पर विचार करना, भारी गाद वाले नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के उपयोगी पूरक के रूप में वनरोपण और मृदा संरक्षण उपाय, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों, घनी आबादी वाले गांवों के समूहों, रेलवे लाइनों और सड़कों की सुरक्षा के लिए कटाव-रोधी कार्य, जहां तकनीकी-आर्थिक आधार पर पुनर्वास संभव नहीं है, जल विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी डेटा एकत्र करने, बाढ़ के मैदानों के मानचित्रण और बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शामिल है।

असम में बाढ़ और कटाव के संबंध में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए गए हैं:

(i) ब्रह्मपुत्र घाटी में दिबांग और सुबनसिरी तथा बराक पर तिपाईमुख बांधों के प्रस्तावों पर तेजी से काम किया जाना चाहिए। इससे गाढ़ रोकने में भी मदद मिलेगी।

(ii) नये तटबंधों के निर्माण से पहले नदियों की भौतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए तथा नदियों को बांधने के अलावा अन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है कि कई स्थानों पर गांवों को उंचा करके तथा फसल पद्धति में बदलाव करके “बाढ़ के साथ जीना” सबसे अच्छा समाधान हो।

(iii) नदी तल के आसपास की घाटियों की तुलना में अधिक उंचे होने के कारण, जब भी बाढ़ आती है, तो उससे होने वाली क्षति बहुत अधिक होती है। इसलिए, भविष्य के विकास को विनियमित करना उचित है, खासकर उन घाटियों में जो बाढ़ के लिए अत्यधिक प्रवण हैं।

(iv) कटाव और दरारों को न्यूनतम करने के लिए, तटबंधों का स्थान और उनके बीच की दूरी, जहां तक संभव हो, डिजाइन आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

(v) कटावरोधी कार्य महंगे होते हैं। तटबंधों की लम्बाई को लेकर जोखिम उत्पन्न होने के मामले में आमतौर पर उन्हें हटाने का विकल्प अपनाना अधिक किफायती होता है, इसलिए कटावरोधी कार्यों के लिए कोई अन्य प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प चुनने पर विचार किया जाना चाहिए।

(vi) ब्रह्मपुत्र नदी में कुल प्रवाह उससे कहीं ज्यादा है जिसका घाटी में दोहन या उपयोग किया जा सकता है। गंगा बेसिन में पानी का अंतर-बेसिन अंतरण से ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा।

\*\*\*\*\*